तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - वादी यूनियन ऑफ इण्डिया (रेलवे विभाग) द्वारा एक वाद बावत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं प्राप्त करने कब्जा भूमि अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि - • मौजूदा ख.न. 345 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम मण्डाना सेटलमेन्ट 1954 से पूर्व रेलवे की खातेदारी की भूमि थी। तथा उक्त भूमि ग्राम गणेशपुरा में दर्ज थी, लेकिन उक्त भूमि अब ग्राम मण्डाना में दर्ज है। • ख.न. 343, 344, 345, 346, 347 की भूमियों में से मौजूदा ख.न. 344, 343, 346, 347 की भूमियाँ रेलवे के काम में न आने के कारण राज्य सरकार के हक में रिलिंक्विश कर दी गई और केवल ख.न. 345 की भूमि रेलवे ने अपने पास रखी थी। • वादी का कब्जा ख.न. 345 भूमि पर	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाकी अर्से से चला आ रहा है उक्त भूमि कोटा रियासत से क्रय की गई थी। क्रय करने से आज दिन तक उक्त भूमि पर रेलवे का कब्जा चला आ रहा है। * सन् 1954 के सेटलमेन्ट के समय ग्राम भगोनापुरा की कुछ भूमि सर्वे करने से रह गई और उक्त त्रुटि का ज्ञान प्रतिवादी क्रम ② को सन् 1970 के आस पास हुआ जिस पर उन्होंने ख.नं. 345 के अलावा अन्य भूमियों जिनका जिक्र वाद पत्र के चरण ③ में कर रखा है को सिवाय चक दर्ज कर दिया। * सेटलमेन्ट के बाद सन् 1970 में प्रतिवादी क्रम ② द्वारा वादी को सूचना दिये बिना वादी की भूमि को उपजिलाधीश कोटा के यहाँ कार्यवाही कर सिवायचक दर्ज करवा दिया गया। * उक्त भूमि वादी द्वारा भूतपूर्व कोटा रियासत से लेने के उपरान्त उस	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2	वक्त के राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में रेलवे अधिकारियों द्वारा अधिकृत नक्शे तैयार किये गए थे, जिससे यह पूर्ण तथा स्पष्ट है कि उक्त भूमि ख.न. 345 वाके ग्राम गडाना जो पूर्व में ग्राम गणेशपुरा की आराजी थी, रेलवे की भूमि है।	
	• प्रतिवादी क्रमांक ① को जिस आदेश के तहत भूमि उपजिलाधीश कोटा द्वारा दिनांक 5.11.70 को दी गई है वह वादी के खिलाफ बेअसर है क्योंकि उसमें वादी को पक्षकार नहीं बनाया गया था और ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया। इस कारण उपजिलाधीश कोटा का आदेश दिनांक 5.11.70 वादी के खिलाफ वोइड है और उक्त आदेश के अन्तर्गत भूमि को नियमितक दर्ज करने तथा बाद में उक्त भूमि को PT को दिये जाने का आदेश भी कानूनन अवैध है।	उपखण्ड अधिकारी कोटा
	प्रार्थना	
3	- उक्त आधार पर वादी द्वारा निवेदन	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया है कि- * वादी को ख.नं. 345 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम मडाना का खातेदार घोषित किया जावे। * प्रतिवादी (1) को ख.नं. 345 अथवा उसके किसी भी अंश पर कब्जा करने से रोका जावे। * प्रतिवादी (1) को पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण ख.नं. 345 की भूमि पर न करें। * राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अमल दरामद किये जाने हेतु प्रतिवादी नं (2) को आदेश प्रदान किया जावे। ⇒ वादपत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। ⇒ प्रतिवादी नं (1) नगर विकास न्यास द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि- * वादी उक्त भूमि का मालिक नहीं है। राजस्थान में कृषि भूमि का मालिक केवल राज्यसरकार, जो लैंड	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख न्यायालय का हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होल्डर है, ही होती है। वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादग्रस्त भूमि विधि पूर्वक UIT को दी गई है। * राज्य सरकार ने विधिवत वादग्रस्त आराजी UIT-कोटा को जिलाधीश कोटा के आदेश क्रमांक 8.10.80 एवं तहसील आदेश दिनांक 23.09.1983 से राजस्व रिकार्ड में विधिपूर्वक एन्ट्री की गई है, जो कि आबादी हेतु अंकित की गई है। वादग्रस्त आराजी पर UIT का कब्जा विगत 10 वर्षों से चला आ रहा है। यह भूमि आबादी विस्तार हेतु दी गई थी. UIT द्वारा वादग्रस्त भूमि पर गरीब व्यक्तियों के निवास हेतु मकान बनवा दिए गए हैं। * वादग्रस्त आराजी पर मकान निर्मित होने के कारण पूर्णतया नगरीय भूमि है। तथा नगरीय भूमि होने के कारण इस न्यायालय को प्रकरण में कोई भी आदेश देने का	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिभाषक शेष नहीं रहा है। इस आधार पर प्रतिवादी ① द्वारा निवेदन किया गया है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। ⇒ प्रतिवादी क्रम ② द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर वादी का वादपत्र पूर्णतया अस्वीकार किया गया है। ⇒ प्रतिवाद पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई — ① आया वादग्रस्त आराजी ख.नं.345 रकबा 4 बीघा वादी की पुश्तैनी आराजी है तथा उसी का कब्जा है। ② आया वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने योग्य है। जिसका नाम दर्ज करना अवैध है। ③ आया वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादी नहीं रहा है। ④ आया उक्त आराजी का खातेदार प्रतिवादी है, जिसे राज्य सरकार ने आराजी विधिपूर्वक हस्तान्तरित की है - ⑤ आया वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से क्रय की गई थी। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित हो जाता है कि वादी द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे वादी अपने कथन को प्रमाणित कर सके कि वादी द्वारा उक्त आराजी कौटा रियासत से क्रय की गई हो। वादी द्वारा वादपत्र के बिन्दु सं. ④ में कथन किया गया है कि क्रय किये जाने के उपरान्त से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर रेलवे विभाग का कब्जा चला आ रहा है. लेकिन वाद पत्र के सामान्य अवलोकन से भी यह प्रमाणित है कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 183 के तहत प्रस्तुत कर, प्रतिवादी की बेदखली का निवेदन किया गया है। धारा 183 RTA के तहत वादी का वाद प्रस्तुत करना वादी की स्वीकारोक्ति है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी नहीं प्रतिवादी का कब्जा है। साथ ही पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ से भी	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	
4/	नहीं है। आबादी की भूमि है, लिहाजा इस न्यायालय को आदेश देने का अधिकार नहीं है. (6) नोटिस के बिना वाद चलने योग्य नहीं है O7 R11 CPC के तहत खारिज होने योग्य है (7) सहायता। ⇒ बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई। ⇒ हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस वकुलाय फरीकैन पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया। वाद पत्र में अंकित तथ्यों, प्रतिवाद पत्र में उठाये गए प्रतिवादों तथा बहस में कथित तथ्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है— (1) तनकीह नं.(1) - आया वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 345 रकबा 4 बीघा वादी की कृषि शुदा आराजी है तथा उसी का कब्जा है— - तनकीह नं.(1) को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा कोटा ती[illegible]	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि प्रतिवादी का यह कथन सही है कि उसके द्वारा मौके पर गरीब व्यक्तियों हेतु मकान बना दिये गए हैं। उक्त परीस्थितियों में जबकि वादी ना तो भूमि को क्रय किया जाना प्रमाणित कर पाया है और ना ही वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा प्रमाणित कर पाया है, तनकी नं. (1) विरूद्ध वादीगण की जाती है।	
	(2) तनकी नं. 2 — "आया वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने योग्य है। सिवाय चक दर्ज किया जाना अवैध है" - उक्त तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी का वादपत्र में कथन रहा है कि अभिलाषी कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.11.90 से वादग्रस्त आराजी को सिवायचक घोषित किया गया था। उक्त प्रकरण में वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, अतः उक्त आदेश वादी के विरूद्ध बेआधार है।	
उपखण्ड अधिकारी कोटा		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी हुए
	वादी का यह भी कथन रहा है कि सेटलमेन्ट के दौरान विवादग्रस्त भूमि का सर्वे विधिवत नहीं किया गया जिसमें रेलवे द्वारा छोड़ी गई भूमियों के अलावा वादी द्वारा अपने पास रखी गई भूमि को भी सेटलमेन्ट के बाद 1970 में प्रतिवादी (2) द्वारा वादी को सूचना दिये बिना वादी की भूमि को उपजिलाधीश कोटा के यहाँ कार्यवाही करके सिवायचक दर्ज करा दिया। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का पुनः आद्योपान्त अवलोकन किया। किसी भी पक्षकार द्वारा उपजिलाधीश का आदेश दिनांक 04.11.70 पत्रावली पर संलग्न नहीं किया गया है। लेकिन पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 71 ग्राम भड़ाना से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी उपजिलाधीश कोटा द्वारा मिसल नं. 58/70 में जारी आदेश दिनांक 4/11/70 की पालना में सिवायचक दर्ज की गई थी। लेकिन नामान्तरकरण सं. 71 में पूर्व खातेदार का नाम दर्ज नहीं होने से	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/	यह प्रमाणित नहीं होता कि वादग्रस्त आराजी वादी की स्वतंत्रता से निवापनक दर्ज की गई हो। वादी द्वारा वादपत्र में उल्लेखित इस तथ्य को यदि स्वीकार भी कर लिया जावे कि अभिलेखों द्वारा वादग्रस्त आराजी को निवापनक दर्ज किया गया था, तो भी वादी के लिए नियमानुसार यह आवश्यक था, कि वह तत्कालीन आदेश 04.11.70 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करता। लेकिन वादी द्वारा पुनः इसी न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जो नियमसंगत नहीं है। उक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि भूमि अवैध रूप से निवापनक दर्ज की गई। वादी के संज्ञान में इस न्यायालय का आदेश दिनांक 4.11.70 था, लेकिन वादी द्वारा उस आदेश के विरुद्ध भी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। स्पष्टतया वादी वादग्रस्त आराजी पर अपने हक को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः	

3

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	तनकी नं. (2) विरुद्ध वादी तय की जाती है।
	(3) क्या वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादी नहीं रहा है - उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित हो जाता है कि न्यायालय उपजिलाधीश के मि.नं. 58/70 में पारित आदेश दिनांक 5.11.70 से वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज की गई। आदेश दिनांक 5.11.70 के विरुद्ध कोई अपील ना होने से आदेश अंतिम रूप से प्रभावी है। इसके उपरान्त जिलाधीश कोटा द्वारा वादग्रस्त आराजी नियमानुसार पात्र को स्थानान्तरित की गई, जो लगान का 40 गुना राशि जमा होने के उपरान्त नामान्तरकरण सं. 137 से नगर विकास न्यास के खाते दर्ज हुई। स्पष्टतया प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादी नहीं रहा है। अत: तनकी (3) बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।
उपखण्ड अधिकारी कोटा	(4) <u>तनकी नं. 4</u> - तनकी नं. (4) को प्रमाणित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। तनकी नं. ③ में किये गए विवेचन से प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार प्रतिवादी है, जिसे राज्य सरकार से आराजी विधिपूर्वक हस्तान्तरित की है। अतः तनकी नं. ④ बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।	
⑤	तनकी नं. ⑤ व ⑥	
	प्रथम 4 तनकीयात में प्रकरण का विस्तृत विवेचन कर वादपत्र को मेरिट पर निस्तारित किया जा रहा है। अतः तनकी नं. ⑤ व ⑥ के तकनीकी बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन अपेक्षित नहीं है।	
⑥	तनकी नं. 7 - सहायता	
	उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं. ① व ② बिन्दु वादी [illegible] तय की गई है तथा तनकी नं. ③ व ④ बहक प्रतिवादीगण तय की गई है। जिससे स्पष्ट है कि वादी हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	⇒ क्रियात्मक आदेश - उक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं प्राप्त करने कब्जा भूमि अन्तर्गत धारा 88, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। ⇒ डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। ⇒ पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	